

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष-0141-2740239, फेक्स-0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/530

जयपुर दिनांक :- 07.05.2021

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश संख्या 385/2021-22 दिनांक 06.05.2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	पूर्व नाम (सर्वश्री)	पूर्व नाम के स्थान पर (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	बद्रीनारायण रैगर, (लिंक नं. 4487) स.ले.अ. ग्रेड- I	सुधीर कुमार, (लिंक नं. 5818) स.ले.अ. ग्रेड- II	निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर	स.ले.अ. ग्रेड- I के पद के विरुद्ध
2	योगेंद्र कुमार चुलेट, (लिंक नं. 12418) कनिष्ठ लेखाकार	अभिलाषा बेनीवाल, (लिंक नं. 12479) कनिष्ठ लेखाकार	निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर - 6341	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर	रिक्त पद पर
3	महेंद्र कुमार बैरवा, (लिंक नं. 12528) कनिष्ठ लेखाकार	जसवंत सैन, (लिंक नं. 13176) कनिष्ठ लेखाकार	आयुक्त उद्योग विभाग जयपुर - 582	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर	रिक्त पद पर
4	राकेश नेशन मीणा, (लिंक नं. 12286) कनिष्ठ लेखाकार	अंशुल जैन, (लिंक नं. 11535) कनिष्ठ लेखाकार	मुख्य अभियंता मार्बजनिक निर्माण विभाग जयपुर - 902	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर	रिक्त पद पर

उपरोक्त अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कॉलम संख्या 05 में अंकित विभाग/कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लोक हित में जारी किये जाते हैं।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-III/530

जयपुर दिनांक :- 07.05.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
- संबंधित कोषाधिकारी
- श्री..... कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II) कार्यालय हाजा।
- उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस कॉईन्स पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित/निजी पत्रावली।

(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III))